**उत्तर प्रदेश सरकार**
**उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,**
**19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,**
**लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001**

**सूचना / विज्ञप्ति**

**संख्याः पीआरपीबी—भ—8—946 / 2017** **दिनांकः लखनऊ, अप्रैल, 12 2018,**

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या / डायरी संख्या(एस):29415 / 2017 अनुज धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित में मा0 उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित:06.10.2017 के कम में याची अनुज धामा की भॉति आरक्षी भर्ती 2009 की लिखित परीक्षा में 06 गलत प्रश्नों के अंक प्रदान करके चयनित किये जाने के सम्बन्ध में अचयनित विभिन्न अन्य अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में प्राप्त हुये हैं ।

2— विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या / डायरी संख्या(एस):29415 / 2017 अनुज धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित मा0 उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित:06.10.2017 का कार्यात्मक अंश निम्नवत् हैः—

"the appeal is disposed of in term of the earlier judgment" instead of the appeal being dismissed. We order accordingly.

3— प्रश्नगत प्रकरण में उल्लेख करना है कि उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी भर्ती—2009 की लिखित परीक्षा के अन्तर्गत भाग—2 के 04 तथा भाग—4 के 02 निरस्त किये गये प्रश्नों के पूरे अंक दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या:33984 / 2010 अनुज धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 29.07.2013 के द्वारा खारिज कर दिया गया था तथा बोर्ड द्वारा रिट याचिका संख्या:2669 / 2009(एम0बी0)—पवन कुमार अग्रहरि बनाम् उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्थाः—

$$\frac{\text{सही उत्तर गुणा उस भाग के निर्धारित अंक}}{\text{सही प्रश्नों की संख्या}}$$

के अनुसार करायी गयी मूल्यांकन प्रकिया को सही ठहराया गया था ।

4— रिट याचिका संख्याः 33984 / 2010 अनुज धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एकल पीठ के आदेश दिनांकित 29.07.2013 के विरूद्ध याची अनुज धामा द्वारा विशेष अपील संख्याः 1314 / 2013 अनुज धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसे विशेष अपील डिफेक्टिव संख्याः 343 / 2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम् पंकज कुमार में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डिवीजन बेंच के आदेश दिनांकः 06.05.2015 के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक अन्य डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक:18.05.2017 को पारित आदेश द्वारा खारिज(Dissmissed) कर दिया गया ।

5— विशेष अपील संख्याः 1314 / 2013 अनुज धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डिवीजन बेंच के उपरोक्त आदेश दिनांक:18.05.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी—याची अनुज धामा द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या / डायरी संख्या(एस):29415 / 2017 अनुज धामा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य

योजित की गयी। सुनवाई के पश्चात् मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांकः06.10.2017 को पारित आदेश में सन्दर्भित आदेश दिनांकः18.05.2017 के कार्यात्मक भाग को निम्नवत् पढ़े जाने के निर्देश दिये गयेः—

"the appeal is disposed of in term of the earlier judgment" instead of the appeal being dismissed. We order accordingly.

**6**— उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या—38524/2010 मतीन राव व अन्य बनाम् उ0 प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या—38526/2010 पंकज कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एकल पीठ द्वारा दिनांक 23.12.2014 को पारित आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिये गये थेः—

(4) The respondents shall draw a final merit list of OBC category candidates on the basis of evaluation of marks awarding 1.25 marks against each correct question to all the candidates in the written examination and extend the benefit of 7.50 marks admissible against six wrong questions equally to all and accordingly draw the overall merit list of selected candidates for appointment and determination of seniority as per rules.

(5) The respondents shall restrict the appointment of female category candidates to the extent of 20% vacancies i.e. 1890 and filling up of vacancies beyond this percentage shall stand dehorse the law and being impermissible is liable to be dispensed with so far as the advertisement in question is concerned.

(6) The vacancies remaining unfilled due to shortfall of candidates in other categories of horizontal reservation i.e. freedom fighter, ex-servicemen and home guard may be filled up from amongst OBC candidates as per their overall merit drawn in terms of the direction no.1 issued herein above.

**7**— उपरोक्त निर्देश—(1) के विरूद्ध योजित विशेष अपील डिफेक्टिव संख्याः 343/2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम पंकज कुमार में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डिवीजन बेंच के आदेश दि0:06—05—2015 द्वारा उपरोक्त निर्देश—(1) को अपास्त (set aside) कर दिया गया था। उक्त स्पेशल अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यात्मक अंश निम्नलिखित हैः—

For these reasons, we have come to the conclusion that operative direction no.(1) which is challenged in the present appeal is erroneous. The special appeal would have to be allowed and is, accordingly allowed by setting aside the first operative direction issued by the learned Single Judge extracted in the earlier part of this order.

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी सं0 29415/2017 में दिये गये उक्त आदेश दिनांकितः06.10.2017 के अनुसार निर्देश संख्याः 1 के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रत्यावेदक को कोई लाभ अनुमन्य नहीं है ।

**8— मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांकितः23.12.2014** के निर्देश—(2) के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि विशेष अपील संख्याः 1120/2010—राजीव कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डिवीजन बेंच के आदेश दिनॉक 03—08—2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या (सी)—32344/2010 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम राजीव कुमार में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12—07—2013 के अनुसरण में अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में महिलाओं के 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 856 चयनित अतिरिक्त महिला

अभ्यर्थियों के प्रतिस्थापन में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर लम्बवत कटऑफ मार्क्स 110.8333 तक के अन्य पिछड़े वर्ग के 856 पुरूष अभ्यर्थी चयनित किये जा चुके हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि **बोर्ड द्वारा उक्त चयन हेतु जारी विज्ञप्ति सं0—भर्ती—01/आरक्षी—01/09 दिनांक 25.06.2009 में लिखित परीक्षा शीर्षक के अन्तर्गत इसका स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय(भाग) में न्यूनतम् 33 प्रतिशत अर्हकारी अंक तथा कुल योग का 35 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।** विज्ञप्ति में उल्लिखित इस व्यवस्था के अन्तर्गत क्योंकि **लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र के भाग—2 में अर्हकारी 33 प्रतिशत से कम अंक पाने के कारण असफल अभ्यर्थियों को** इस **सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः निर्देश संख्या 2 के कम में किसी भी प्रत्यावेदक को कोई अनुतोष अनुमन्य नहीं है ।**

**9— मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांकित:23.12.2014** के निर्देश—(3) के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उ0प्र0 पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती—2009 की चयन प्रकिया में घोषित चयन परिणाम में क्षैतिज आरक्षण के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के अभ्यर्थियों की कमी के कारण अनभरी रिक्तियां ओवरऑल मेरिट से लम्बवत श्रेणी(जिसमें अन्य पिछडी जाति भी सम्मिलित) के उपयुक्त अभ्यर्थियों से तत्समय ही भर ली गयी थी। अतः इस निर्देश के अन्तर्गत भी किसी भी **प्रत्यावेदक** को कोई अनुतोष अनुमन्य नहीं है ।

**10—** उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या/डायरी संख्या(एस) 29415/2017 के याची अनुज धामा का प्रत्यावेदन उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा दिनांकः 02.01.2018 को अस्वीकार करते हुए निस्तारित किया गया है। याची अनुज धामा की भॉति समान प्रकृति के प्रत्यावेदन अन्य अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा इस बोर्ड को प्रेषित किये गये हैं, जिसमें मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेश दिनांकित:06.10.2017 का लाभ अनुमन्य करने का अनुरोध किया गया है। इन प्रत्यावेदनों में कोई नवीन एवं भिन्न तथ्य अंकित नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार अन्य सभी प्रत्यावेदकों को कोई लाभ अनुमन्य नहीं होने के कारण उनके प्रकरण निस्तारित किये जाते हैं ।

12/1/18

**अपर सचिव, भर्ती,**
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।